

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 362/2013 अ०फ०

संस्थिति दिनांक 18.11.2013

रामनारायण पुत्र ग्याराम कुशवाह उम्र 29 वर्ष,
निवासी ग्राम छरेंटा थाना एण्डोरी, परगना गोहद,
जिला भिण्ड म०प्र०।

.....अपीलार्थी/आरोपी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी एण्डोरी तहसील
गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०।

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

न्यायालय श्री एस०के०तिवारी, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक
प्रकरण क्रमांक 468/2010 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 18-10-2013
से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 362/2013

// निर्णय //

(आज दिनांक 16-01-2016 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी- श्री एस०के०तिवारी के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 368/2010 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र एण्डोरी वि० रामनारायण आदि में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 18.10.2013 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को धारा 323 भा०दं०वि० के तहत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 700/- रूपए अर्थदण्ड से एवं धारा 324 भा०दं०वि० के तहत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दो माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा

है कि दिनांक 18.07.2010 को फरियादी गांव में मूंगफली बैचकर आ रहा था और समौखी सरपंच की चक्की के पास आया तभी रामनारायण, जितेन्द्र, कल्लू ने उसे रोककर पटक लिया और लात घूसों से मारपीट करने लगे और कहा कि मादरचोद तू बहुत निकलता है। जब उसने भागने का प्रयास किया तो रामनारायण ने उसे पकड़ कर उसकी पीठ में दाँतों से काट लिया। हल्ला सुनकर प्रताप व रामेश्वर आए तब उन्होंने बचाया। उक्त लोग कह रहे थे कि मादरचोद आज तो बच गया है आइंदा जान से मार डालेंगे। उक्त सूचना पर से पुलिस थाना एण्डोरी में अपराध क्रमांक 66/10 धारा 294, 323, 341, 506बी, 34 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया, दौराने विवेचना धारा 324 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। घायल का मेडीकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, आरोपीगण को गिरफ़्तार किया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 294, 323, 341, 506भाग-2, 324 भा0दं0वि0 के संबंध में आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 18-10-2013 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दण्डित किया गया।

05. अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान के एवं रिकार्ड के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में साक्षियों के कथनों में आए हुए अत्यधिक विरोधाभाष होने पर ही आलौच्य निर्णय पारित किया गया है जबकि प्रकरण के फरियादी के द्वारा घटना के समय उपस्थिति बताए गए चक्षुदर्शीय के द्वारा अपने कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष एवं बिसंगतियाँ आई है एवं उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन भी नहीं किया गया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध

दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 18.10.2013 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार:-

08. डॉक्टर जी.आर.शाक्य अ0सा0 4 के अनुसार दिनांक 19.07.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान उन्होंने थाना एण्डोरी से लाए जाने पर आहत अशोक का चिकित्सीय परीक्षण किया था जो कि उसके परीक्षण में उसके दाएं कंधे के पीछे एक अण्डाकार आकार की नील की चोट कथैई कलर का जिसका आकार 4 गुणा 3 से.मी. थी। नील की चोट के ऊपरी हिस्से पर हल्की छिलन थी एवं दाँत के प्रहार के मार्क थे और चोट के निचले हिस्से में भी दाँत के प्रहार के मार्क थे। आहत शरीर में जगह जगह दर्द होना बता रहा था। आहत की चोट दाँत के काटने से परीक्षण के 6 से 24 घण्टे के अंदर आई थी जो कि साधारण प्रकृति की थी।

09. इस प्रकार डॉक्टर जी.आर.शाक्य अ0सा0 4 के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत अशोक के शरीर पर उपरोक्त चोट और निशान मौजूद थे। अब विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या फरियादी को उक्त चोट आरोपी के द्वारा स्वेच्छया कारित की गई?

10. घटना के फरियादी अशोक अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को शाम के चार बजे वह मूंगफली बैचकर आ रहा था, जब वह गांव के सरपंच की चक्की के पास पहुँचा तो उसे आरोपीगण जो संख्या में तीन थे ने घेर लिया। आरोपी रामनारायण के द्वारा उसकी पीठ में खा (काट) लिया गया था। रामनारायण कह रहा था कि अच्छा नेता बनता है इसे नेता बना देते हैं। मारपीट तीनों आरोपियों के द्वारा की गई थी। उसे बाएँ हाथ में और पैर में चोट आई थी और पीठ में दाँत से काटने की चोट आई थी, उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया था। फरियादी के प्रतिपरीक्षण उपरान्त घटना दिनांक को आरोपी रामनारायण के द्वारा उसे पीठ में दाँतों से काटने के संबंध में किया गया कथन और घटनाक्रम के संबंध में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में प्रतिरक्षा के द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आरोपी रामनारायण उसके पीठ पर चढ़ा था। रामनारायण के द्वारा पीठ पर काटने वाली बात

इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अन्य आरोपी उसे घूसा मार रहे थे। इसी प्रकार कंडिका 5 में उसके द्वारा बताया गया है कि आरोपी रामनारायण ने उसकी पीठ में दाहिनी तरफ बखा में काट लिया था। साक्षी को प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपरोक्त पीठ पर दाँत से काटने वाली बात के संबंध में पूछे जाने पर उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसने रामनारायण के द्वारा पीठ में काटने वाली बात रिपोर्ट में लिखा दी थी। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 स्पष्ट रूप से पीठ में रामनारायण के द्वारा काटने वाली बात का उल्लेख आया है। इस प्रकार घटना के फरियादी अशोक के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन अखण्डनीय रहे हैं।

11. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रामेश्वर अ0सा0 2 के द्वारा यद्यपि अभियोजन प्रकरण का समुचित रूप से समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु उसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बताया गया है कि फरियादी अशोक ने उसे बताया था कि रामनारायण ने उसे दाँत से काट लिया है। उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस दौरान उसने इस बात को स्वीकार किया है कि घटनास्थल के पास चक्की है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि आरोपी रामनारायण व अन्य आरोपियों ने अशोक को पकड़ लिया था और उसकी मारपीट की थी। साक्षी को प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि वह झगड़े के थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गया था और यह बताया है कि अशोक की पीठ में काटने की बात अशोक ने उसे बताई थी। इस प्रकार साक्षी जो कि घटना के पश्चात् घटना स्थल आ गया था और उसने फरियादी की पीठ में दाँत से काटने का निशान देखा है और फरियादी के द्वारा उसे आरोपी रामनारायण के द्वारा काट लेने की बात बताई थी।

12. पक्षद्रोही साक्षी के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र इस आधार पर कि साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। निश्चित तौर से जिस सीमा तक साक्षी के कथन से अभियोजन प्रकरण की पुष्टि हो रही हो उसे मान्य किया जा सकता है। निश्चित तौर से वर्तमान साक्षी रामेश्वर के कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि उसने आहत अशोक के पीठ में दाँत से काटने के निशान देखा था और फरियादी के द्वारा उसे आरोपी रामनारायण के द्वारा दाँत से काटने की बात बताई गई थी।

13. अभियोजन साक्षी प्रताप अ0सा0 3 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। केवल यह बताया है कि जब वह चक्की की तरफ से जा रहा था तो झगडा हो रहा था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस संबंध में यद्यपि साक्षी प्रताप के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है उसके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद या बनावटी मानने का कोई आधार

नहीं हो सकता है।

14. इस प्रकार प्रकरण के विवेचना अधिकारी नारायणप्रसाद गौड अ0सा0 6 जिन्होंने कि विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था और साक्षी अशोक, प्रताप और रामेश्वर के कथन लेखबद्ध किये हैं और आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई है। उक्त विवेचना अधिकारी के द्वारा फरियादी पक्ष से हितबद्ध होकर या आरोपी पक्ष से किसी रंजिश के आधार पर विवेचना की कोई कार्यवाही की गई हो ऐसा भी मानने का कोई आधार या कारण परिलक्षित नहीं होता है जिससे कि विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही प्रतिकूलित होती हो।

15. इस प्रकार घटना के आहत/फरियादी अशोक अ0सा0 1 का इस संबंध में अखण्डनीय न्यायालयीन कथन है कि आरोपी रामनारायण के द्वारा घटना दिनांक को घटना स्थल पर फरियादी अशोक की पीठ पर दाँत से काट लिया गया था तथा उसके साथ मारपीट की घटना भी की गई थी जो कि घटना में वर्तमान अपीलार्थी रामनारायण के साथ अन्य आरोपी कल्लू और जितेन्द्र भी मौजूद थे। उक्त बात फरियादी अशोक के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों से भी इस बात की पुष्टि होती है। आरोपी रामनारायण के द्वारा जो कि उसकी पीठ पर चढ़ा था उसे दाँत से काटा गया था। इस बिन्दु पर फरियादी के कथन की सम्पुष्टि आंशिक रूप से अभियोजन साक्षी रामेश्वर अ0सा0 2 के कथन के आधार पर भी होती है। फरियादी अशोक को दाँत से काटने की चोट उसकी पीठ पर होना मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर भी होती है जो कि चिकित्सक डॉक्टर जी.आर.शाक्य अ0सा0 4 के कथन से फरियादी के दाँए कंधे के पीछे 4 गुणा 3 से.मी. भाग पर दाँत से काटने के निशान होना पाए गए थे। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक को यह सुझाव दिया गया है कि गोल छल्लेनुमा नुकीले काटेदार चीज से चोट क्रमांक 1 जो कि उपरोक्त बताई हुई चोट है आ सकती है जिससे कि चिकित्सक के द्वारा स्वीकार किया गया है। किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी या किसी अन्य अभियोजन साक्षियों को कहीं भी कोई सुझाव बचाव पक्ष के द्वारा नहीं दिया गया है कि आहत को आई हुई चोट गोल छल्लेनुमा नुकीले काटेदार चीज से आई है। इस संबंध में मात्र डॉक्टर के द्वारा गोल छल्लेनुमा नुकीले काटेदार चीज से चोट आने के संबंध में जो बात स्वीकार की गई है उसके आधार पर आहत को आई हुई चोट दाँत से काटने के अन्यथा प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। आरोपी रामनारायण के द्वारा फरियादी को दाँत से काटकर जो चोट पहुँचाई गई है वह स्वेच्छया कार्य करते हुए पहुँचाई गई है जैसा कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर उक्त तथ्य प्रमाणित होता है।

16. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर वर्तमान अपीलार्थी/आरोपी रामनारायण के द्वारा फरियादी अशोक

को दौत जो कि नुकीली वस्तु के रूप में प्रयोग कर काटना का तथ्य तथा यह तथ्य कि अन्य सहआरोपीगण के साथ मिलकर उसके द्वारा आहत अशोक को स्वेच्छया उपहति भी कारित की गई।

17. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य पर उचित रूप से विचार कर एवं साक्ष्य का मूल्यांकन और विश्लेषण करते हुए आरोपी रामनारायण को धारा 323 एवं 324 भा०दं०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक या तथ्यात्मक त्रुटि की जानी नहीं पाई जाती है। इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा ठहराई गई दोषसिद्ध स्थिर रखी जाती है।

18. आरोपी को दिए गए दण्ड का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी को दिया गया दण्ड जो कि 6 माह की सश्रम कारावास अति कठोर है। घटना अचानक घटित हुई है इस दौरान आरोपी का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। उसके द्वारा सन् 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है और लगातार उपस्थित रह रहा है। ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने का निवेदन उनके द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर भी विचारण न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाने का निवेदन किया गया है।

19. सर्वप्रथम आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का जहाँ तक प्रश्न है। आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 324 भा०दं०वि० के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होना पाया गया है। आरोपी की उम्र घटना के समय 29 साल की है। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए उसे प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया गया है जो कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

20. जहाँ तक आरोपी रामनारायण को दिए गए दण्ड का प्रश्न है। धारा 323 भा०दं०वि० के अंतर्गत न्यायालय से उठने तक की सजा एवं 700/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है जो कि अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में उक्त प्रदत्त दण्डादेश उचित है। विचारण न्यायालय के द्वारा धारा 324 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपए अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है। आहत को पीठ में दौत से काटने का एक निशान मौजूद है। इसके अतिरिक्त

अन्य कोई बाहरी चोट उसके शरीर पर नहीं है। आरोपी करीब 6 साल से विचारण का सामना कर रहा है। ऐसी दशा में अपराध की प्रकृति व तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को उक्त धारा के अंतर्गत प्रदत्त की गई 6 माह के सश्रम कारावास की सजा को अपास्त करते हुए उसके स्थान पर आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड की जो राशि आरोपी के द्वारा पूर्व में जमा की गई है उसे अधिरोपित अर्थदण्ड में समायोजित की जाए। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो माह का सश्रम कारावास भुगताया जाए। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर पूर्व में आदेशित प्रतिकर की राशि 2000/- से बढ़ाकर 3500/- रूपए आहत अशोक को दिलाए जाने का आदेश दिया जाता है। आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा पूर्व में भुगताई जा चुकी है। आरोपी अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस के अंदर अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराए अन्यथा सजा भुगतने हेतु तत्पर रहे। आरोपी के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

21. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्र प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)